

प्रेषक,

एस0के0 मुट्टू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0
उत्तरांचल, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग: देहरादून: दिनांक: 31 मार्च 2004
महोदय,

भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को बीमा सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। यह योजना आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना कहलायेगी, जो जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह स्कीम के अन्तर्गत संचालित होगी। इस बीमा योजना की विशेषतायें हैं:-

- 1- यह बीमा योजना 01-04-2004 से लागू होगी।
- 2- यह बीमा योजना कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं हेतु स्वैच्छिक होगी, अनिवार्य नहीं होगी।
- 3- समूह बीमा स्कीम में जुड़ने हेतु कार्यकर्त्री एवं सहायिका द्वारा व्यक्तिगत फार्म भरा जायेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की निकटतम पेंशन एवं समूह स्कीम इकाई से फार्म प्राप्त कर जिला कार्यक्रम अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकों को पहुँचाएंगे। बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छुक कार्यकर्त्रियों व सहायिकों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी 30 अप्रैल, 2004 तक निदेशालय भेजेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित कार्यकर्त्री/सहायिका भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत पूर्व से आच्छादित नहीं हैं।
- 4- वार्षिक प्रीमियम की दर रू0 280/- होगी, जिसके निम्न अनुपात में अंश होंगे:-
 - (I) जीवन बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा फंड से रू0 100/-
 - (II) भारत सरकार से रू0 100/-
 - (III) आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका से रू0 80/-

6.
भा
ए
7
(
(

7. भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम रू० 100/- प्रति बीमित सदस्य का अंश सीधे जीवन बीमा निगम को दिया जायेगा। अतः इस योजना का विकल्प चुनने वाली कार्यकर्त्री एवं सहायिका की अलग-अलग राख्या भारत सरकार को दिनांक 30-04-2004 तक अगस्त तक भी जाये।

8. योजना से लाभान्वित की इच्छा रखने वाली कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय से रू० 80/- का वार्षिक प्रीमियम काटकर भारतीय जीवन-बीमा निगम की पेंशन एवं सन्तुष्टि स्कीम इकाई को शासकीय अंशदान के साथ भेजा जाएगा।

9. योजना से लाभान्वित कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के योजनान्तर्गत क्लेम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निरस्तारित किये जायेंगे। क्लेम की धनराशि एकाउन्ट पेयी बैंक के माध्यम से सम्बन्धित को प्राप्त करायी जायेगी।

10. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान है:-

(1) यह योजना 18 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के सदस्यों पर लागू होगी।

(2) दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर : रू० 20000/-

(3) दुर्घटना से मृत्यु होने पर : रू० 50000/-

(4) दुर्घटना से स्थायी अपंगता होने पर : रू० 50000/-

(5) दुर्घटना से दोनों आंखें अथवा दो अंग नष्ट होने पर

अथवा

एक आंख एवं एक अंग नष्ट होने पर : रू० 50000/-

(6) दुर्घटना से एक आंख अथवा एक अंग नष्ट होने पर : 25000/-

(7) बीमित व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत दो बालको को प्रत्येक तिमाही प्रति विद्यार्थी रू० 300/- की छात्रवृत्ति दी जायेगी। यदि विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है तो अगले वर्ष उसी कक्षा में अध्ययन के लिये उसे छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।

(8) गम्भीर बिमारी में विशेष जाय का प्राविधान : स्तन कैंसर, गर्भाशय, कैंसर/फैलोपियन ट्यूब कैंसर, सर्जिकल कैंसर, युटैराइन कैंसर में से कोई एक गम्भीर बिमारी होने पर रू० 20000/- दिये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकों के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(Signature)

(एस०के० मुट्टू)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

पष्ठांकन: _____/बीमा योजना-44 तद् दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
- 2- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- 3- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 4- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/ बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, देहरादून, उत्तरांचल कृपया आवेदन पत्रों की उपलब्धता जनपद स्तरों पर सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,


(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव